संख्या–267 /XIV-1 / 2004–1(03) / 2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन.

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तरॉचल.

सहकारिता, अनुभाग: देहरादून: दिनॉक 14 जून 2005

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष की (जिला सेक्टर) वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक के पत्र संख्या 508/नियो0 /जिला योजना/2005-06 दिनॉक 03.05.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष (जिला सेक्टर) की योजना हेतु जनपदवार आवंटित/विभिन्न मदों में उपलब्ध प्राविधान जो भी कम हो की सीमा तक कुल रू0 92.085 लाख (रू0 बयानबें लाख आठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि के व्यय करने की संलग्न में अंकित विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते है.

2. कि इसका आहरण/व्यय योजनाओं पर जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्यासा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

4. सभी कार्यक्रमों का वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल किया जाय, तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

5. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं अनुमोदित कार्यों/मदों पर व्यय किया जाय तथा किसी ऐसे मद/कार्य पर धनराशि का व्यय न किया जाय जो योजना में स्वीकृत नही है. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जाएगी।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय सर्वप्रथम उन योजनाओं में किया जायेगा जिसका 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर ही किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग उत्तरॉचल शासन के टैक्निकल सैल/शासन तथा महालेखाकार को भिजवाना सुनिश्चित करें.

8. उक्त व्यय शासन के वर्तमान प्रसंगत/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार, उत्तरॉचल को उपलब्ध कराया जाय तथा आय-व्ययक में अपनाई गई कम्पोजिट ग्रान्ट की प्रणाली के अन्तर्गत एक लेखा का राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय (जिसमें ऋण और अग्रिमों से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित है) एक ही अनुदान के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है. इस प्रणाली में पूंजी व्यय से राजस्व व्यय में पुनर्विनियोग वर्जित है।

10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.3.06 तक सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त तिथि तक कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाये.

11. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या -18 के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित योजनाओं/शीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-214/वित्त अनुभाग-2/2005 दिनॉक 6 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार.

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव।

संख्या-267(1)/XIV-1/2005-1(3)/2005/तद्दिनॉक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओवराय बिल्डिंग माजरा, उत्तरॉचल देहरादून.
2. समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरॉचल.
3. अपर निबन्धक, सह0 समितियॉ, उत्तरॉचल को अल्मोड़ा जनपद की स्वीकृति के आहरण हेतु.
4. सचिव वित्त/नियोजन विभाग, उत्तरॉचल शासन.
5. वित्त बजट एवं सांख्यिकीय निदेशालय उत्तरांचल
6. वित्त अनुभाग-2
7. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तरांचल.
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी.
9. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-267 /XIV-1/2005-1(5)/2005 दिनॉक 14-6-05 ~~मई~~,2005

	नैनी०	ऊ०सिंनगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौ०	चम्पा०	दे०दून	हरिद्वार	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रुद्रप्रयाग	उ०काशी	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2425-सहकारिता 00-आयोजनागत 107-कैडिट सहकारी समितियों को सहायता 91-सहकारी ऋण योजना 01-पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान														
20-सहायकअनुदान/अंशदान/राज सहायता	1.250	0.000	12.650	0.885	12.520	6.100	1.400	0.000	13.775	5.025	5.250	2.765	6.225	67.845
02- सहकारी ऋण योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान.														
20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.050	1.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.490
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता 03-सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता														
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.600	0.275	0.300	0.000	0.225	0.050	0.450	0.250	0.250	0.250	1.500	1.075	0.450	5.675

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	13	14	15
800- अन्य व्यय 06- भेषज विकास एवं जडी बटी योजना 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.660	0.000	0.345	0.725	0.505	0.700	0.300	3.700	0.200	0.540	0.500	1.000	0.750	9.925
07- प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	1.100	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.300	0.000	3.550
08- प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एवं साज सज्जा अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.250	0.600	0.000	0.200	0.000	0.250	0.025	0.000	2.100	0.075	0.000	0.100	0.000	3.600
योग- 2425	2.960	2.315	13.295	1.810	13.250	8.200	2.175	3.950	16.325	5.890	8.250	6.240	7.425	92.085

(एन० एस० डुंगरियाल)
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन